भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2006

सं. 1–20/2006–बी एंड एस. – भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना सं. 39 जो,–

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खण्ड (घ) तथा धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (ट) के परंतुक के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 9–1–2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44 (अ)के अंतर्गत प्रकाि ात की गई थी,

के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के उप–खंड (ii), (iii), (iv) और (v) तथा उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ आदे ा, 2006 (2006 का 6) में और सं ोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदे ा बनाता है, अर्थात्:–

1. इस आदे ा का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ (दूसरा सं ोधन) आदे ा, 2006 है ।

2. यह इसके राजपत्र में प्रकाि ात होने की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

3. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ आदे ा, 2006 (2006 का 6) की अनुसूची में,–

(क) विकल्प–I के नीचे टिप्पणी को उसकी टिप्पणी 1, के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार संख्यांकित टिप्पणी 1, के प चात्, निम्नलिखित टिप्पणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''**टिप्पणी 2.** ऊपर विनिर्दिश्ट किराया और प्रतिदेय प्रतिभूति निक्षेप किसी विधि के अधीन किसी कर अथवा किसी अन्य उद्ग्रहण के अतिरिक्त होंगे तथा ऐसा कर अथवा उद्ग्रहण सब्सक्राइबर द्वारा देय होगा; ''

(ख) विकल्प–II के नीचे टिप्पणी को उसकी टिप्पणी 1, के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार संख्यांकित टिप्पणी 1, के प चात्, निम्नलिखित टिप्पणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''**टिप्पणी 2.** ऊपर विनिर्दिश्ट किराया और प्रतिदेय प्रतिभूति निक्षेप किसी विधि के अधीन किसी कर अथवा किसी अन्य उद्ग्रहण के अतिरिक्त होंगे तथा ऐसा कर अथवा उद्ग्रहण सब्सक्राइबर द्वारा देय होगा; ''

आर.एन. चौबे, सलाहकार (बी एंड सीएस–II)

टिप्पणी 1: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2006 की अधिूसचना संख्या 15–3/2006–बी एंड सी एस के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 मे प्रका ित तथा तत्प चात् अधिसूचना एफ. सं. 1–18/2006–बी एंड सीएस, दिनांक 21 नवम्बर, 2006 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रका ित दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ (पहला सं ोधन) आदे ।, 2006 (2006 का 7) द्वारा सं ोधित दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ आदे ।, 2006 (2006 का 6) में एतद्द्वारा सं ोधन करता है ।

टिप्पणी 2: संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन को इस आदे । के भाग के रूप में माना और पढ़ा जाए ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के तीन महानगरों के भागों में स ार्त संपर्क प्रणाली (कैस) का कियान्वयन करने के बारे में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदे ा के अनुसरण में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 31 अगस्त, 2006 को टैरिफ आदे ा जारी किया था जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पे–चैनल के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य की सीमा बुनियादी सेवा टियर के अंतर्गत फ्री–टु–एयर चैनलों के लिए मांग की जा सकने वाली अधिकतम रा ि तथा किराया आधार पर सेट टॉप बाक्सों की आपूर्ति के लिए एक मानक टैरिफ पैकेज निर्दिश्ट किया गया था । उक्त टैरिफ आदे ा को वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबरों के संबंध में टैरिफ प्रबंधन हेतु उपबंध करने के लिए 21 नवम्बर, 2006 को आगे सं ोधित किया गया था । 31 अगस्त, 2006 का टैरिफ आदे ा द ार्ता है कि पे–चैनल हेतु अधिकतम खुदरा मूल्य के लिए सीमा की रा ि तथा बुनियादी सेवा टियर प्रभारों के लिए रा ि टियर प्रभारों के लिए रा ि करों के अतिरिक्त होगी ।

2. स्टेकहोल्डरों के साथ आयोजित परस्पर–संपर्क बैठकों के दौरान, यह देखा गया कि किराया योजनाओं के अंतर्गत सेट टॉप बाक्सों की आपूर्ति के लिए मानक टैरिफ पैकेज के संबंध में स्थिति में दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ आदे ा, 2006 (2006 का 6) की अनुसूची में निर्दिश्ट किराए और प्रतिदेय प्रतिभूति निक्षेप की रा ि में लागू करों को भाामिल करने अथवा अन्यथा के बारे में स्पश्टीकरण की आव यकता है । पे–चैनलों तथा बुनियादी सेवा टियर प्रभारों हेतु टैरिफ के लिए आदे ा स्पश्ट हैं कि नियत दरें (कम ाः प्रति सब्सकाइबर प्रति माह पांच रुपये तथा प्रति सब्सकाइबर प्रतिमाह सतहत्तर रुपये) करों के अतिरिक्त हैं । दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तीसरा) (कैस क्षेत्र) टैरिफ आदे ा, 2006 (2006 का 6) की अनुसूची में सेट टॉप बॉक्सों हेतु निर्दिश्ट किराए और प्रतिदेय प्रतिभूति निक्षेप के लिए समान सिद्धांत अपनाए जाने की आव यकता है । तदनुसार, स्थिति को स्पश्ट करने के लिए, कैस अधिसूचित क्षेत्रों में सेट टॉप बॉक्सों की आपूर्ति के लिए टैरिफ के विवरणों वाली उक्त

अनुसूची के विकल्प । और विकल्प ।। में एक टिप्पणी अंतःस्थापित की गई है, जिसमें यह स्पश्ट किया गया है कि किराए और प्रतिदेय प्रतिभूति निक्षेप के संबंध में अनुसूची के विकल्प । और विकल्प ।। में उल्लिखित रा ि ायां लागू करों, यदि कोई है, के अतिरिक्त होंगी ।